कार्यालय :— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.)

—::— पुनः नीलामी विज्ञप्ति —::—

क्रमांक 91......./ तीन–9–5/2015 बुरहानपुर, दिनांक 05 मार्च, 2022

सर्व साधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर के अधिपत्य का शासकीय वाहन टाटा ईडिगों GLX (BS III) 2009 वाहन क्रमांक एम.पी. –02 ए.व्ही.– 2739 (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी **दिनांक :–08.03.2022 को प्रातः 10:30** खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

नीलामी किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	शा. वाहन क्रमांक	स्थान जहां पर वाहन रखा गया।	वाहन की निष्प्रयोजित राशि	मॉडल वर्ष	रिमार्क
1	एम.पी. –02 ए. व्ही.– 2739 टाटा ईडिगों GLX (BS III) 2009	नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायायल, बुरहानपुर	55,000/—	2009	

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, बुरहानपुर के नाम से देयक राशि रूपये 5000/— का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि क रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्ते की जनकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश बुरहानपुर से प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त शासकीय वाहन एम.पी. –02 ए.व्ही.– 2739 टाटा ईडिगों GLX (BS III) 2009 की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार हैं :—

निविदा शर्ते :—

1. शासकीय वाहन वाहन टाटा ईडिगों GLX (BS III) 2009 वाहन क्रमांक एम.पी. –02 ए.व्ही.– 2739 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि रूपये 55,000/— (रूपये पचपन हजार रूपये मात्र) (शासकीय बोली) नियत है।
2. उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 5000/— का बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर के नाम से बैंक में जमा कर संबंधित व्यक्ति/संस्था निलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा, तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्थ को उनके द्वारा लगाई गई बोली/स्वीकृत की गई पुरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा निलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन निलामी कार्यालय प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को प्राप्त होगा।
5. नीमाली के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृत, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनउपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोली कर्ता को स्वीकृत आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण राशि, बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय, बुरहानपुर के नाम से जमाकर, वाहन को स्वंय के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. संबंधित वाहन भौतिक निरिक्षण हेतु नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर में उपलब्ध है,इस हेतु नायब नाजिर, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर से सम्पर्क करे।
9. बोलीकर्ता द्वारा निलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में निलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गई है, ऐस माना जावेगा।
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वंय के व्यय पर यथास्थिति में कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर से अपने अधिपत्य में लेकर जाना होगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से नवीन रजिस्ट्रेशन बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक, चेसिंस नम्बर, ईजन नम्बर, निविदाकार निलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपंरात मान्य नहीं की जावेगी।
13. वाहन निलामी की बोली स्वीकार होने के उपरांत वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. वाहन की निलामी दिनांक **08.03.2022** से अधिकतम बोली आने तक की जावेगी।
15. शासकीय वाहन प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर के कार्यालय पर प्रतिदिन प्रातः10:30 बजे से 05:30 तक देखा जा सकेगा।
16. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित वाहन निलामी स्थापना पर प्रधान न्यायाधीश महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

(मोहन पी. तिवारी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 98.../ तीन–9–5/2015 बुरहानपुर, दिनांक 05 मार्च, 2022

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय,विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
3. श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बुरहानपुर, कार्यालय कलेक्टर/कमीशनर, नगर निगम, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है, कि सूचना समस्त सार्वजनिक स्थान, के सूचना पटल पर चस्पा करवाये जाने हेतु प्रेषित।
4. नायब नाजिर, नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना नोटिस बोर्ड/सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाना सूनिश्चित करें।
5. श्री राजेश नागले, जूनियर सिस्टम एंनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त शासकीय वाहन की निलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

(मोहन पी. तिवारी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.)